

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-३

लखनऊ: दिनांक: २६ मई, २०२१

विषय:- निगरानी समितियों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।


महोदय,

अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समितियों के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश संख्या-८८३/३३-३-२०२०-११४/२०१२टीसी दिनांक-०३.०४.२०२० एवं पत्र संख्या-१०२९/३३-३-२०२०-११४/२०१२टीसी दिनांक-१६ जून, २०२० द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान होंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निगरानी समिति की अध्यक्षता ग्राम पंचायतों के नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा की जाएगी।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०।
२. समस्त गण्डलीय उपनिदेशक(पं०) उ०प्र०।
३. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
४. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।